संग्रहण, छँटनी, ग्रेडिंग, पैकेजिंग के लिए आधारभूत संरचना

योजनान्तर्गत प्रारम्भिक उद्यानिक सहकारी समितियाँ/पूर्व से स्थापित मंडियों में उद्यानिक फसलों के विपणन हेतु प्रारम्भिक ढ़ाचागत संग्रहण, छँटनी, ग्रेडिंग, मूल्य संवर्द्धन, अर्द्ध प्रसंस्करण ईकाई के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करा सकते हैं। इसके अन्तर्गत लाभार्थी आलू ग्रेडिंग/आलू आधारित उत्पाद यथा ग्रेडेड आलू, आलू चिप्स, आलू पापड़ इत्यादि तैयार कर आलू का मूल संवर्द्धन कराते हुए विपणन कर सकते हैं। लाभार्थी अपने क्षेत्र में उत्पादित सब्जियों का संग्रहण, छटाई, धुलाई, पैकेजिंग आदि कराकर अपने उत्पाद को स्थानीय या अन्य मंडियों में निर्यात कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। उक्त क्रिया कलाकलापों के संचालन/स्थापना/क्रियान्वयन हेतु सामान्यतः 1000 वर्ग फीट क्षेत्र में पक्का प्रोडक्शन हॉल, भण्डारण कक्ष, का निर्माण कराया जाना है, जिसमें ग्रेडिंग लाईन, पोटैटो पीलर, पोटैटो स्लाईजर, प्लास्टिक क्रेट्स, पल्पर, पैकेजिंग मशीन इत्यादि उपकरणों का समावेश किया जाना अनिवार्य है, जिससे उत्पादित कच्चे माल को मूल्य संवर्द्धन कराते हुए अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

इस इकाई की स्थापना एवं विपणन सुविधाओं के विकास हेतु लाभार्थी को सामान्यतः निर्धारित इकाई लागत ₹15.00 लाख का 40 प्रतिशत यानि ₹6.00 लाख क्रेडिट लिंक्ड बैक इन्डेड अनुदान देय है। राज्य सरकार द्वारा योजना की उपयोगिता को ध्यान में रखकर विशेष प्रोत्साहन हेतु इस अवयव के इकाई लागत का 10 प्रतिशत यानि ₹1.50 लाख अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। अर्थात योजना के निर्धारित शर्त्तों के अनुरूप कार्य सम्पादित एवं पूर्ण करने पर लाभार्थी को कुल इकाई लागत का 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम ₹7.50 लाख रूपये अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।